संख्या: 433511 /E- 94611/XXVII(1)/2026

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–01

देहरादून, दिनांक 21 सितम्बर, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 के अनुपूरक मांग के प्रस्ताव की समय–सीमा विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्याः 427263/E-94611/XXVII(1)/2026, दिनांक 31 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक मांग के प्रस्ताव बी.एम.–8 एवं स्पष्ट औचित्य के साथ IFMS Software पर अपलोड किए जाने हेतु अंतिम तिथि 18.09.2026 नियत की गई थी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्त प्रस्ताव IFMS Software पर अपलोड किए जाने की पूर्व निर्धारित समय–सीमा (18.09.2026) को एतद्द्वारा विस्तारित करते हुए दिनांक 24 सितम्बर, 2026 नियत किया जाता है। संदर्भित पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2026 में उल्लिखित अन्य समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by
DILIP JAWALKAR
Date: 19-09-2026
11:02:41
(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या 433511/E-94611/XXVII(1)/2026 दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें को इस आशय से प्रेषित कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के अनुपूरक बजट प्रस्तावों हेतु IFMS Software में उक्त विस्तारित तिथि दिनांक 24.09.2026 तक आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव

संख्या427263/E-94611/XXVII(1)/2026

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–01 देहरादून, दिनांक 31 अगस्त, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक मांग के प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के प्रस्ताव पर शीघ्र विचार किया जाना सम्भावित है। इसके दृष्टिगत विभागवार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यह सूच्य है कि किसी अनुदान संख्या के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाली बचतें भी पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय करने हेतु उपलब्ध रहती हैं और बचतों की उपलब्धता होते हुए अनुपूरक बजट की व्यवस्था कराना ऑडिट की दृष्टि से आपत्तिजनक है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पुनर्विनियोग की सम्भावना न होने पर ही व्यय एवं बचत की सूचना (बी.एम.–8) सहित प्रथम अनुपूरक मांग हेतु मात्र वेतन, आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति, केन्द्र सहायतित योजनाओं, बाह्य सहायतित योजनाओं, वचनबद्ध व्यय, मा. मुख्यमंत्री घोषणा एवं राज्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी योजना/कार्य हेतु ऐसी धनराशि, जिसे चालू वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में व्यय कर लिये जाने के प्रति विभाग वचनबद्धता व्यक्त कर सके, ऐसे प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा विभाग स्तर से ही IFMS Software पर स्पष्ट औचित्य के साथ अपलोड करते हुए एवं SND के संबंध में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष स्तर पर IFMS पर दिनांक 18.09.2026 तक अपलोड करने का कष्ट करें। (हार्डकॉपी/ऑफलाइन/आनलाइन पत्रावली की आवश्यकता नहीं है)।

भवदीय,
Digitally signed by
DILIP JAWALKAR
Date: 31-08-2026
09:45:28
(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या 427263/E-94611/XXVII(1)/2026 दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें को इस आशय से प्रेषित कि वित्तीय वर्ष 2026—27 के अनुपूरक बजट हेतु IFMS software में आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।
5. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Himanshu Khurana
Date: 31-08-2026
09:55:26
(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव